[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

N-17P/DIREO-247

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, dated 29th the August, 2013

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Karnataka State AIDS Prevention Society a body constituted by the Government of Karnataka in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

> "Amount received in the form of grants-in-aid from the Government of India and State Government"

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-2012 and 2012-2013 and shall be applicable for the financial years 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016.

3. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

(a) the Karnataka State AIDS Prevention Society does not engage in any commercial activity;
(b) the activities and the nature of the specified income of the Karnataka State AIDS Prevention Society remain unchanged throughout the financial year; and
(c) the Karnataka State AIDS Prevention Society files return of income in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

SL. Ajay
2/9/13

4. The grants received by the said Society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[Notification No. 66 /2013 (F.No.196/70/2012-ITA.I]

Deepshikha
(Deepshikha Sharma)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 29th अगस्त, 2013

का.आ. (अ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतदद्वारा कर्नाटक राज्य एड्स निवारण सोसाइटी (कर्नाटक स्टेट एड्स प्रीवेन्शन सोसाइटी), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय को उक्त सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है:-

"भारत सरकार और राज्य सरकार से सहायता – अनुदान के रूप में प्राप्त राशि"

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-2012 एवं 2012-13 के लिए लागू माना जाएगा तथा यह वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, एवं 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, अर्थात् -

(क) कर्नाटक राज्य एड्स निवारण सोसाइटी कोई भी वाणिज्यिक क्रिया-कलाप नहीं करती है।

(ख) कर्नाटक राज्य एड्स निवारण सोसाइटी के कार्य-कलाप और विनिर्दिष्ट आय के स्वरूप पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य एड्स निवारण सोसाइटी अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार दाखिल करती है।

4. उक्त सोसाइटी को प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि को मौजूदा नियमों तथा विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 66 /2013 (फा.सं. 196/70/2012-आई टी ए-I)]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।